Date: - 17/02/2020

COMPLETION CERTIFICATE

of Development Works in

"ROYAL GREEN CITY-1" RESIDENTIAL SCHEME

at Village Govindpura Urf Jaichandpura, District Jaipur

Developer & Promoter Name:- Gokul Kripa Colonizers & Developers Pvt. Ltd. (Director Shri Rajesh Kumar)

Contents

| 1. Introduction | 3 |
|--|----|
| 2.Township Policy 2010: | 3 |
| 3. Development Work: | 6 |
| 4. Layout plan of scheme: | 8 |
| 5. Satellite Image: | 8 |
| 6. Annexure: | 9 |
| 6.1 Images of development works on site at Royal Gren City-1, Residential Scheme | 10 |
| 6.2 Completion Certificate: | 12 |
| 6.3 Circulars | 14 |

VINOD CHANDAK Chartered Engineer Membership No. AM1842717

Danday

INTRODUCTION

'Royal Green City-1 is a Residential scheme located At Village Govindpura Urf Jaichandpura, District Jaipur, Rajasthan. It falls in Zone 12 of JDA Planning Zone. The scheme is proposed over a land of 100000.0 Sqm. The area distribution of the land use of the scheme is as follow:

| S. No. | Use | Area (Sqm.) | Percentage (%) |
|--------|---|-------------|----------------|
| 1 | Residential | 44812.50 | 44.81% |
| 2 | EWS/LIG | 4482.17 | 4.48% |
| 3 | Retail Commercial | 894.25 | 0.89% |
| 4 | Facility Area | 10000.25 | 10.00% |
| 5 | Park | 5163.02 | 5.16% |
| 6 | 400 K.V. H.T. Line (Safety Corridor) | 4507.65 | 4.51% |
| 7 | Affected area from 30m Road (As per Zonal Plan) | 730.65 | 0.73% |
| 8 | Road | 29409.48 | 29.41% |
| тот | TAL AREA OF SCHEME | 100000.00 | 100.00% |

Township Policy 2010:

The scheme is categorized as Industrial Township which is envisaged under the Rajasthan Township Policy, 2010. The guidelines for approval / completion of internal development works as per the policy are as follow:

- In order to ensure quality development certain norms as mentioned below are being laid down. It is necessary that the developer should submit along with application for approval the following details:
 - (i) Layout plan showing details of area to be utilized under plots, built up space, roads, open space for park, garden and play ground and other public utility and amenities, services and facilities.
 - (ii) Details of nearby development (at least in the vicinity of 100 meters) along with its superimposition on sector plan.
 - (iii) Details of internal development works as per specifications mentioned below
 - (iv) Details of eco friendly amenities provided;
 - (v) Plan showing HFL of major lakes, water body, if any
- In Residential Schemes and other schemes internal development works such as Construction
 of roads, Laying of power line and Street lighting, Laying of Water lines, Development of
 Water Sources (Tube well), Ducting for road crossing, Construction and development of
 Parks and services area, Plantation along roads sides and parks shall be done by the
 developer only.

VINOD CHANDAK Chartered Engineer Membership No. AM1842717

Page 3 of 17

- Work for laying of sewer line, storm water drainage, overhead Water tanks shall be done by ULB at a combined level of various adjoining schemes for which necessary charges shall be paid by developer to the ULB as per details below:
 - (i) Lying of sewer lines Rs.50/- Per Sq m. of total area.
 - (ii) Storm water drains Rs. 40/- Per Sq m. of total area.
 - (iii) Construction of Over head tanks (optional for ULB) Rs. 50/- Per Sqm. of total area

Note:

- I. The above amount is an average amount. However ULB may increase the charges of above items based on actual cost of the work. The above amount shall be deposited along with EDC at the time of issue of Patta.
- II. For ensuring internal development of the area, Patta / lease deed (Sale permission) of 12.5% of the saleable plots will be withheld by the ULB.
- III. In case of plot for group housing of size more than 2 hectares, 5% area of plot (an independent plot with proper approach) shall be surrendered to the ULB for facilities. For plot size less than 5 acres, amount equivalent to5% of the area calculated at residential reserve price of that area shall be deposited with ULB.
- IV. In case of single Patta for Group Housing land for sector commercial shall not be surrendered to ULB.

Construction of Roads

- (i) All the internal road networks including draft sector plan / master plan roads within the scheme are to be developed by the developer. The sector roads are to be accommodated.
- (ii) The internal roads should be minimum 9 meters wide where the length of the road is up to 100 meters and 12 meters wide where road length is more than 100 meters.
- (iii) However, as for as possible no row of plots should be more than 200 mtrs in length accept the sector plan / zonal plan / main arterial roads having width 18 M & above.

The technical specifications for road construction shall be as follows:

| S.No. | Row | Paved width | Berms with (both side) |
|-------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1. | 9meter | 5.5 meter | 1.5 meter |
| 2. | 12meter | 5.5 meter | 2.5 meter |
| 3. | 18meter | 5.5 meter (2 lane) | 2.5 meter |
| 4. | 24meter and above | 2 lane each 7.5 meters with divider | 2.5 meter |

- a) Level and the specifications shall be finalized by the ULB keeping the specifications laid down by IRC.
- b) Gradient shall be as per Indian Road Congress / CRRI.
- c) 1st layer WBM 90 45mm size (100mm compacted)

- d) 2nd layer WBM 63 45mm size (75mm compacted)
- e) 3rd layer (crusher broken) WBM 53-22.4mm (75mm compacted)
- f) 20mm PMC with seal coat

· Power Supply and Street Lighting

- a) The development of electrification, power network and power load requirement in any scheme shall be in accordance with the norms, rules & regulations of State electricity agency. After the completion of the electrification work, the developer shall handover the complete system to the concerned electricity distribution company.
- b) Street Lights All the roads having above 18 meters width shall have divider as well as the street poles fixed on the divider having the provisions of underground cabling. Other roads will have streetlights on electric poles or single light poles erected on either side of the road. The distance between poles should not be more than 30 meters. The illumination levels of the roads shall be as per the standard of local electricity authority / National Building Code. After the completion of the street light work, the developer shall handover the complete system to the ULB / Maintenance Agency.

Water Supply

All the water lines should be underground having a provision of providing connections to the plot. The sizes of water pipe should be per PHED norms. The scheme should have underground water tank as well as over head water tank as per PHED norms. The complete water supply shall be in accordance with the technical guidelines of the PHED.

After the completion of the water supply scheme, the developer may hand over the laid distribution and storage system to the PHED/ULB/private operator.

Sewerage & Drainage

All the plots in the scheme should be well connected with the underground sewerage line with proper slope; the sewerage line should normally be located close to the boundary wall of the plots (within about 10 ft.) with a provision for connection of plots.

Horticulture & Plantation

All roads should have plantation tree guards on both sides having minimum of 30 trees per acre of the gross area. Trees of 5 feet or more height should be planted. All the parks should be developed by the developer and maintained by the developer till the scheme is completed and handed over to ULB or to the Resident Welfare Society.

Rain water Harvesting and Water recycling

Community rain water harvesting structures shall be constructed by developers. Similarly water recycling shall be provided as per Building Regulations and water from all water outlets and drainages should be collected for recycling for gardening, washing etc. by the ULB.

VINOD CHANDAK Chartered Engineer Membership No. AM1842717

Page 5 of 17


Development Work Of Royal Green City-1 Residential Scheme


| Sl. No. | Heading | As per New Township Policy, 2010 | Status | % Of Work Done |
|------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | WBM Roads (1 st & 2 nd layer) | Roads are to be constructed by the developer. | 2 Layers complete | 100% |
| | BT/CC Roads (3rd layer WBM & BT/CC layer) | Roads are to be constructed by the developer. | 3 Layers Complete | 100% |
| 2 | Sewer Line | Lying of sewer line shall be done by ULB for which necessary charges shall be paid by the developer. Sewerage line is prescribed to be located close to the boundary wall of plots (within 10 ft.) | Completed Sewer lines laid out by the Developer in the entire scheme | 100% |
| 3 | Water supply First phase | Construction of tube wells and lying of water pipelines. | Complete | 100% |
| | Water supply Second phase | Construction of over head tank and underground storage tank. | Complete | 100% |
| 4 | Electrification | Lying of power line and Street lighting shall be done by the developers. | Complete | 100% |
| 5 | Drainage & Water harvesting | Storm Water drainage shall be constructed by the ULB for which necessary charges shall be paid by the developer & Rain water harvesting structures to accommodate collection of water for recycling and gardening, washing etc. | Complete | 100% |
| 6 | Parks | To be taken up by the developers. | Complete | 100% |
| 7 | Street light | Electric poles should be provided on the divider of 18m. Wide road. Prescribed spacing between poles of 30m to be maintained. Internal roads to have street lights on either side of roads. | Complete | 100% |



| 8 | Plantation | To be undertaken by the developer. There should be 30 trees/acre of the gross area. Minimum Height of trees should be 5ft. or more. | Complete | 100% |
|----|---------------------------------|---|-----------|---------|
| 9 | Ducting | Laying of Ducts at road crossing shall be undertaken by the developer. | Complete | 100% |
| 10 | Overall Development Works | Status of overall development of scheme calculated with weightage given to different works as per Govt. order dated 01.12.09 | Completed | 100.00% |

Layout plan of scheme of Royal Green City-1 Residential Scheme






SATELLITE IMAGE OF ROYAL GREEN CITY-1 RESIDENTIAL SCHEME LATITUDE: 26.865184°, LONGITUDE: 75.628564°






ANNEXURE: ROYAL GREEN CITY-1

Images showing the status of development works on site at Royal Green City-1 Residential Scheme



ENTRY GATE OF THE SCHEME





WATER TANK

RAINWATER CHAMBER

Page 10 of 17



PARK & PLANTATION



ELECTRIFICATION & LIGHT POLE



Page 11 of 17

COMPLETION CERTIFICATE OF ROYAL GREEN CITY-1

Name of the Chartered Engineer

· Er. Vinod Chandak

Name of the Scheme

* "Royal Green City-1" Residential Scheme

At Village Govindpura Urf Jaichandpura, Khasra No. 95/1 (Sh. No. 111), 96, 97, 98, 98/131, 110/1, 99/1,

(Sh. No.101/1, 108/1), 99/2, 99/8 (Sh. No. 101, 108),

District Jaipur

Area of scheme

Address

• 100000.0 Sqm.

Scheme Inspection on Dated

17/02/2020

Summary of development works completed by the developer till the date of inspections is given in the following heads:-

A. Road work

Status of work:

WBM (1st & 2nd Layer): 100% Completed B.T. (3rd Layer): 100% Compete

B. Sewer Line

Status of work: 100% Completed

C. Water Supply

Status of work: 100% Completed

D. Electrification

Status of work: 100% Complete

E. Drainage & Water Harvesting

Status of work: 100% Completed

F. Development of Parks

Status of work: 100% Completed

G. Street Lighting

Status of work: 100% Complete

H. Plantation

Status of work: 100% Completed

I. Ducting

Status of work: 100% Completed

Chartered Engineer Membership No. AM1842717 Summary of development charges against which various works have been completed by the developer in the scheme of "Royal Green City-1"

| S. No. | Type of Development Work | Phase/ Description | Charges/ weightage as Per Govt. Orders | Work Done (in %) |
|--------|--------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| 1 | Road work | 1st & 2nd Layer WBM | 25 | 100.00% |
| | | 3rd Layer WBM with BT/CC | 35 | 100.00% |
| 2 | Sewer Line | | 30 | 100.00% |
| 3 | Water Supply | Phase I | 21 | 100.00% |
| | | Phase II | 35 | 100.00% |
| 4 | Electrification | | 45 | 100.00% |
| 5. | Drainage & Water Harvesting | | 25 | 100.00% |
| 6 | Development of Parks | | 20 | 100.00% |
| 7 | Street Lighting | | 5 | 100.00% |
| 8 | Plantation | | 4.5 | 100.00% |
| 9 | Ducting | | 4.5 | 100.00% |
| Total | 4 | | 250 | 100.00% |

Circulars

| अवसाय जानिया विश्वास माधिकरण, जागार विश्वास जानिया कर्या कर्य कर्या कर्य कर्या कर्य कर्या कर्य कर्या कर्य कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या कर्य कर्या कर्य कर्या कर्य कर्य कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या | ARREST CONTRACTOR OF THE PARTY | | STATE OF THE OWNER, WHEN THE PARTY OF THE PA | | Control of the Contro |
|---|--|----------------|--|--|--|
| अवसाध अविशा (कार | | | | | |
| अनुसा अनिवास के आवासीय परियोजनाओं / टावनसिव विकासित करने के कि सिवा की नीति के तहत नगरीय विकास पर क्यांकल शासन विकास कि की निवास की नीति के तहत नगरीय विकास पर क्यांकल शासन विकास कि की निवास की नीति के तहत नगरीय विकास पर क्यांकल शासन विकास के के का का का की की आदिश का कर किया / 4891 / 4893 / 4894 के का का का की का की की सार्वेदार / विकासकार्ये की निवास का का कार किये गये वे । यहन दिया जाता है पर श्री की का की की सार्वेदार / विकासकार्ये की आवासीय योजनाओं में पर श्री श्री की का का किये गये थे । यहन दिया जाता है पर श्री की का का की की मार्ये थे । यहन दिया जाता है पर श्री की का | | | अयपुर विकास | 知[6年7] | जयनु |
| अवसास असलेगा के का क्षेत्र विकास का किया का का के का | | | | | Georgia III |
| शासन्यान में आवासीय विस्तानमाओं / टावमसिय विवासित कार्य के वास्त मिली कि तीति के तहत मगरीय दिवास एवं व्यायन शासन विकास कार्य होंगा कार्य आर्थिय के तहत मगरीय दिवास एवं व्यायन शासन विकास कार्य होंगा कार्य आर्थिय के तहत मगरीय दिवास एवं व्यायन शासन विकास कार्य होंगा कार्य आर्थिय कार्य के जानार कार्य होंगा कार्य का | Services. | ज्यांने र | 7/23n/32/2005 | D-1P. | The second secon |
| कारमधान से आवाशीय विश्वीक्षणाओं / शावशीय विश्वीक्षण करने के नीति के सहन नगरीय दिकास पूर्व स्थायन शावल विश्वाक के 112002 पत्र 1512002 पत्र के 275 कराविक्षण को आदिन कार्य स्थायन शावल के 275 कराविक्षण को आदिन कार्य स्थायन शावल के 275 कराविक्षण के | | | | | |
| कार्या आही आही कार्या कार्या कार्या कार्या प्रथा कार्या प्रथा कार्या का | | | | आदश | |
| कार्या आही आही कार्या कार्या कार्या कार्या प्रथा कार्या प्रथा कार्या का | | | | | 4 |
| कार्या आही आही कार्या कार्या कार्या कार्या प्रथा कार्या प्रथा कार्या का | | | | American A. | अस्तिवित विकस्ति करने म |
| कार्या आही आही कार्या कार्या कार्या कार्या प्रथा कार्या प्रथा कार्या का | | TIBRE | ल में आवाशीय पार | glornou / | कार एवं स्थायन्त शासन विकास |
| कारतालय हारा जारी आदेश कमाक जरिया/ अका/ पूर्ण विकास कर्माओं जो आवासीय योजमार के विकास कर्माओं जो आवासीय योजमार के विकास कर्माओं हें विकास कर्माओं ये ये ये । स्वस दिया- निर्देश में पर्य हैं क्ष्म के विकास कर्माओं के स्वर्थ में ये । स्वस दिया- निर्देश में पर्य हैं क्ष्म किया जारा है किया के आवासीय योजमाओं में दिनित्स विकास कर्म के साम के आवासीय योजमाओं में दिनित्स विकास कर्म के साम के असार पर निर्म शुक्र निर्धारित किये कारा है किया के असार पर निर्म शुक्र निर्धारित किये कारा है किया के असार पर निर्म शुक्र निर्धारित किये कारा है किया के असार पर किया जारा है किया के असार पर किया के असार पर किया कारा हमा कारा हमा किया कारा हमा कारा हमा किया कारा हमा हमा हमा हमा हमा हमा हमा हमा हमा हम | | | | | |
| विश्वा अंकार के निजी खारोदार विकासकारी की का कार्य में स्वा है प्रक हैं हैं कि स्वा निर्मा जारे किये गये थे । उस दिया जाता है एक हैं की स्वाचित किये गये थे । उस दिया जाता है एक हैं की स्वाचित किये गये थे । उस दिया जाता है एक हैं की स्वाचात कियों में स्वाचात कियों की हैं की स्वाचात कियों की स्वाचात की कार्यार विकासकारों की विकासकार किया जाता है । किया कार्यार विकासकारों की आवासीय योजनाओं में दिविन विकास कार्य में प्रति को कार्यार पर निम्न गुरूक निर्धारित किये जाता है । किया किया के लिए परिचा के जाशार पर निम्न गुरूक निर्धारित किये जाता है । किया किया किया के जाया यह कार्य निजी विकासकार के जाता निर्माण कार्य के लिया के जाया कार्य प्रतिकरण के द्वारा है करवाया जाएगा। असा अधिवास प्रमाण वस से पूर्व पर स्वाच कार्य प्रतिकरण के द्वारा ही करवाया जाया कार्य कार्य कार्य कार्य प्रतिकरण के द्वारा ही करवाया जाया । वर्तमान के प्रथम चरण कार्य कार | THE S | आसी अ | विभिन्नमा दिनाकः । | 1.2002 NO | uan / ué/ 2003/ 30// |
| हेतु दिशा-निर्देश वादी कियो गये थे । स्वत दिशा-निर्देश में संशोधन एवं परिवर्धन किया जाता है एवं क्षेत्र सामाणिक विन्तुकों में संशोधन एवं परिवर्धन किया जाता है '' हिशा-निर्देश आदेश दिनांक 18.6.2003 के अनुसार यधायत गर्थ जाते हैं '' किया-निर्देश आदेश दिनांक 18.6.2003 के अनुसार यधायत गर्थ जाते हैं '' किया कार्यों के लिए प्लीट प्रिया के आधार पर निन्न शुक्ल निर्धारिक किये कार्यों के लिए प्लीट प्रिया के आधार पर निन्न शुक्ल निर्धारिक किये कार्यों के प्राथिक कार्यों में प्रति कर्म के प्राथिक कार्यों में प्रति कर्म के प्राथिक कार्यों के अनुसार करवाए जो निर्धारिक निर्धार कार्यों के अनुसार करवाए जा सकते हैं । किया कार्यों के क्षेत्रकरण के अनुसार करवाए जा सकते हैं । क्षेत्रकरण के अनुसार करवाण जा सकते हैं । क्षेत्रकरण के अनुसार करवाण जा सकते हैं । क्षेत्रकरण के अनुसार करवाण कार्यों के जार्य कार्यों के जार्य कार्य कार्यों के जार्य कार्यों के जार्यों कार्यों क | | | | | |
| के के कार्या के सरीवान पूर्व विरुक्त किया जीती है किया जीती है किया जीती है किया जीती है किया किया किया किया किया किया किया किया | | | | | |
| विशा निर्देश आहेश दिनाक 18.6.2003 के अनुसार ध्रधावत बाउ जात के किया जात है । क्रिक्ट को काल्या है दिकासकर्ती की आवाशीय योजाताओं में दिकिन विकास करता के लिए प्लीट एरिया के अधार पर निम्न शुक्क विधारित किये कालों है । (अ) आवारिक विध्वस होते - विकास पर निम्न शुक्क विधारित किये काल पर के काल पर के लिए पर के काल पर काल पर काल पर के काल पर के काल पर काल काल पर काल काल काल पर काल पर काल काल काल पर काल काल काल पर काल पर काल काल काल पर काल काल काल काल पर काल काल काल काल पर काल | | ME HER PRINT | | and the same | - Com Child b |
| किजी खानेदार / दिकासकर्ता की आवासीय योजाताओं में दिनिन्न दिकार कार्यों के लिए परिया के जायार पर निम्न शुक्र निर्धारिक किये कार्य हैं - विवास के जायार पर निम्न शुक्र निर्धारिक किये कार्य हैं किया के जायार पर निम्न शुक्र निर्धार किया के जायार पर निम्न शुक्र निर्धार किया के जायार पर किया के जायार पर किया के जाया कार्य के जाया कार्य के जाया कार्य कार्य के लिया के जाया कार्य कार कार्य कार कार्य का | The state of the s | THE SHE | TO THE THE PERSON | ees of story | पार यथायत रखे जात है - |
| कियों ब्यान्यर / दिकासकरों की आवासीय योजनाओं में दिकान दिकार कार्य में किया किया के जावार पर मिनन शुक्र निर्धारित किये कार्य पर मिनन शुक्र निर्धारित किये कार्य में प्रति को कार्य में प्रति को कार्य में प्रति को कार्य में प्रति को कार्य में प्रति के कार्य में प्रति के कार्य में कार्य | The second secon | THE RESERVE OF | 新日本本丁 十十一 11 mm - 1 m | | |
| काली है - (न) कालरिक विकास हुंचे - क्रिक्ट विकास में प्रति वर्ग में प्रति प | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN | The second second | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| काली है - (न) कालरिक विकास हुंचे - क्रिक्ट विकास में प्रति वर्ग में प्रति प | | 1941 | SHIER / Isalmon | के आया | धर मिप्त शुल्क निर्धारित १००६ |
| कार के निर्माण करण कर स्पर्ध कर स्प्र कर स्पर्ध कर स्पर | | ESIGN | th Tolk Auto Mixal | 41 4150 | |
| विस्म में प्रति हो में प्रति ह | | कारी है | | | |
| विस्म में प्रति हो में प्रति ह | | | | | |
| श्रीति हैं की स्था अपनी से | | (1) | | | Brief |
| विश्व | | 東京 | वियरमा | उर रूपया | |
| विकय सेग्व पर सेशका पर से से सेशका पर से से सेशका पर से | | | | | |
| वालिक सडली हारा अपने रहार पर की प्राधिकरण के निधालिक मायर प्राधिकरण के निधालिक मायर प्राधिकरण के निधालिक मायर प्राधिकरण के जिल्ला का मायर प्राधिकरण के जिल्ला का मायर प्राधिकरण के जिल्ला कार्य प्राधिकरण के जिल्ला कार्य प्राधिकरण के जिल्ला कार्य प्राधिकरण के ज्ञान कार्य कार कार्य कार कार्य का | | | | | |
| अतिहरूक सडक वर यह कार्य निजी विकासका वर यह कार्य निजी विकासका का निमाण कार्य 25.00 मिर्पा कार्य 25.00 मिर्पा के नियालिय के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य कार्य कार्य के कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार्य कार | | | | | |
| अतिरिक राडकी वा अवने रतार पर कि निर्धाणिक का निर्धाण कार्य 25.00 विकास पर विकास के निर्धाणिक माध्य कर कार्य कार्य के कार्य कर कार्य | | | | | |
| हारा अपने रहार पर प्राधिकरण के निधारित प्राप्त करकार करकार प्राप्त करकार प्राप्त करकार करकार प्राप्त करकार करकार करकार करकार प्राप्त करकार कर करकार करकार कर करकार कर करकार कर करकार कर करकार कर | | | ARRIVE TOTAL | | यह कार्य निजी विकासय व |
| (जा) हो लेगर 25.00 प्राधिकरण के निवासकर करवाए प्राप्त करवाण करव | | | | | भाग आपने शरार पर जिल्ल |
| मापदण्डों के अनुरुप करवार जा कार्य । सावत है । कार्य कार्य कार 35.00 सावर लाइन का कार्य प्राधिकरण के द्वारा ही करवाया प्राधिकरण के प्रधिकरण के प्राधिकरण के प्राधिकरण के प्रधिकरण के प्रधिक | | | क्षा विचार्य क्षांच | 26.00 | वाधिकरण के निधानक |
| नाडक (क) तीलरी लेरर 35.00 / पूर्व हामधीकरण के प्रांत ही करवाया प्राधिकरण के प्रांत शिक्षी । अवार्त आपूर्ति का कार्य : जल आपूर्ति का कार्य : जल कार्य प्राधिकरण के हारा है) करवाया जाएमा । अवार्त कार्य प्राप्त करवाया जाएमा । वर्षमान में प्रथम प्राप्त कार्य कार्य निजी निवेशकर्ता द्वारा कार्य निजी निवेशकर्ता द्वारा जल स्वारस्य अभियादिकी / प्राधिकरण से योजना का अनुमोदित करवाद कार सकेगा । किसीय वरण के कार्य का पिता कार्य कार्य कार्य सकेगा । किसीय वरण के कार्य का | | | (वा) दा लबर | 2000 | मामण्डो के अनुरूप करवाए |
| क्षित्र लाइन का 30.00 सीयर लाइन का कार्य प्राधिकरण के हुत्स ही करवाया जाएं। 1 असे अधिवास प्रमाण पत्र से प्रमाण पत्र कार्य प्राधिकरण के हुत्स ही करवाया जाएंगा । असम बारण : जल 25.00 मार्थ कार्य मिला का जार्य निजी निवेशकर्ती हुत्स जार से से कार्य कार्य | | | इस्त्यू याएम. | THE PERSON NAMED IN | ला प्राचाने हैं । |
| व सीवर लहन का 3000 सीवर लाइन का कार्य प्राधिकरण के द्वारा ही करवाया प्रमण्या । असः अधिवास प्रमण्या प्रमण्या । असः अधिवास प्रमण्या प्रमण्या । असः अधिवास प्रमण्या प्रमण्या विश्व यह राशि प्राधिकरण में ज्ञाम करवानी होती । व जार्य मान वरण : जल 2100 / स्वतंपान में प्रथम घरण का कार्य निजी निवेशकर्या द्वारा । कापूर्वि लाइने एवं कार्य निजी निवेशकर्या द्वारा ज्ञाम के कार्य होता कार्य मानिकरण से प्राधिकरण से प्रीजना का अनुमोदित कराकर वार सकेगा । व व व व व व व व व व व व व व व व व व | | | | | OII NOW E I |
| शीवर लाइन का 30.00 सीयर लाइन का काव प्राधिकरण के द्वारा ही करवाया जाएगा । अस अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व यह राशि प्राधिकरण में जमा करवानी होगी । जान आपूर्ति का समस्त कार्य प्राधिकरण के द्वारा ही करवाया जाएगा । जान करण : जल 21.00 / • वर्तमान में प्रथम घरण का कार्य त्वारा ही कारवाया जाएगा । जान करण : जल 21.00 / • वर्तमान में प्रथम घरण का कार्य तिजी निवेशकर्ता हाला जान स्वारच्य अभियादिकी / प्राधिकरण से योजना का अनुमोदितः कराकर वार सकेगा । विसीय घरण : 35.00 सकेगा । विसीय घरण के कार्य की | | | विसरी लेगर | 35.00 | |
| वार्षे प्राधिकरण के द्वारा ही करवाणा जाएगा । असः अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व यह राशि प्राधिकरण में काम करवाणी होगी । जान आपूर्ति का • भाविष्य में वारा आपूर्ति का समस्त कार्य प्राधिकरण के द्वारा ही करवाया जाएगा । कापूर्ति जाइने एवं वार्ष होगा में प्रथम घरण कार्य निजी निवेशकर्ता द्वारा जान कार्य निजी निवेशकर्ता द्वारा जान कार्य निजी निवेशकर्ता द्वारा जान स्वारच्य अभियात्रिकी/ प्राधिकरण रे योजना का अनुमोदित कराकर वार सकेगा । वार्षे करवादन पत्र कोरवा होगा । वार्षे करवादन पत्र कोरवा कार्य सकेगा । वार्षे करवादन पत्र कोरवा कार्य सकेगा । | | | एवं हामधेकरण | | |
| प्राचिकरण के द्वारा ही करवाया जाएगा । आम अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व यह पाति प्राधिकरण में जागा करवानी होगी । - भविष्य में चाल आपूर्ति का रामस्त कार्य प्रसिक्त्रण के द्वारा ही करवाया जाएगा । - वर्तमान में प्रथम घरण यत कार्य निजी निवेशकर्ता हुस्स जान करवादन जान उत्पादन पानी की जोवर पानी की जोवर पानी की जोवर पानी की जोवर पानी की जोवर पानी की जोवर | | Daniel . | | 30.00 | सीवर लाइन का कार्य |
| जारी वा अध्यान प्रमाण विकास प्रमाण विकास प्रमाण विकास प्रमाण विकास प्रमाण विकास प्रमाण विकास आधिकारण के सामा वार्य प्राप्ति का सामान विकास के सामान विकास के सामान में प्रथम घरण का कार्य निजी निवेशकार्य हाला जान स्वास्थ्य अभियाजिकी / प्राधिकारण से योजना का अनुमोदित कार्यकर बार सकेंगा । हिटीय घरण : 35.00 सकेंगा । | | Walter Control | | | प्राधिकरण के द्वारा ही करवाया |
| पत्र से पूर्व यह राशि प्राधिकरण में जागा कारवानी होगी । बात आपूर्ति बा • भविष्य में वाल आपूर्ति का समस्त कार्य प्राधिकरण के हारा ही करवाया जाएगा । कार्य कार्य शिक कार्य प्राधिकरण या कार्य शिकी निवेशकर्ता हाला जान स्वारच्य अभियादिकी / प्राधिकरण से योजना का अनुमोदितः कराकर वाल सकेगा । वाल करपादन पानी की जोवर • विसीय बरण के कार्य की वाला कारवाय सकेगा । | | | | | |
| भे जमा करवानी होगी । जन आपूर्ति का स्मारत कार्य प्राविकरण के हारा ही करवाया जाएमा । कार्य करवा करवा : जल 21.00 / • वर्तमान में प्रथम चरण कार्य कार्य निजी निवेशकर्ता हारा जन स्वारच्य अभ्यादिकी / प्राविकरण से योजना का अनुमोदितः कराकर कार सकेगा । क्षित्र करवादन जन कार्य सकेगा । क्षित्र कर्वादन कार्य के कार्य की | | | | | |
| अलं आपूर्ति था • भविष्य में दाल आपूर्ति का संगरत वर्गाय प्राप्तिकरण के हारा ही करवाया जाएमा । अलं कर्मा कर का कार्य निजी निवेशकर्ता हारा जा कार्य निजी करवादन करव | | | | 100 | |
| वार्च संगत कार्य प्रक्षियां के हारा है। करवाया जाएमा । प्रकार बरण : जल 21.00 / वर्तमान में प्रथम घरण का कार्य निजी निवेशकर्ता हारा जन स्वारच्य अभियात्रिकी / प्राधिकरण रो योजना का अनुमोदित कराकर बार सकेगा । वार्च उत्पादन पानी की कोवर हितीय बरण के कार्य की की कार्य की | | | | | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. |
| प्राथम प्रथम । जल अपूर्णी लाइने एवं सामान में प्रथम प्रथम प्राप्त का कार्य निजी निवेशकर्ता हुस्स जल कार्य निजी निवेशकर्ता हुस्स जल स्वारच्य अभियात्रिजी / प्राधिकरण से योजना का अनुमोदित कराकर कार सकेंगा । पानी की कोवर • दिवीय बरण के कार्य की सामा | | | निवार आपूर्व ये | | |
| प्राथम प्रथम । जल अपूर्णी लाइने एवं सामान में प्रथम प्रथम प्राप्त का कार्य निजी निवेशकर्ता हुस्स जल कार्य निजी निवेशकर्ता हुस्स जल स्वारच्य अभियात्रिजी / प्राधिकरण से योजना का अनुमोदित कराकर कार सकेंगा । पानी की कोवर • दिवीय बरण के कार्य की सामा | | | Harry Comments | | समस्य कार्य प्राधिवारण के |
| श्रापृति लाइने एवं द्वार येश का निर्माण दिशेव चरण : 35.00 कार्य निर्णाण का कार्य निर्णाण का कार्य निर्णाण का जन्मदितः कराकर वार सकेगा । किलोक अंकार किलोव कार्य की कार्य की कार्य चरण के कार्य की सकेगा । | | | | | |
| अस्ति लाइने एवं दावा वेश का क्रिया वरण : 35.00 स्वीतिकार का क्रिया वरण : 35.00 सकेगा । क्रिया वरण : क्रिया वरण के कार्य की क्रिया वरण : क्रिया वरण के कार्य की क्रिया वरण के क्रिया करण के क्रिया करण के क्रिया की क्रिया वरण के क्रिया करण के क्रिया की | | | अला सरण : जल | 21.00 1 | |
| वार्ष केश का जाव निजा निवस्वाता हुस्स जान स्वास्थ्य अभियात्रिकी / प्राधिकरण से योजना का अनुमोदितः कराकर वार सकेगा । जान का कार्य के कार्य का सकेगा । जान का कार्य | | | | | • पतानान म प्रथम चरण का |
| विशीय वरण : 35.00 जा स्वारच्य अभियात्रिकी / प्राधिकरण से योजना का अनुमोदित कराकर कार सकेगा । जा को कार्य की कार्य की कार्य की सके कार्य की कार्य कार्य की कार्य की कार्य कार्य की कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार् | | | | | कार्य निजी निवेशकर्ता द्वारा |
| हिटीय चरण : 35.00 प्राधिकरण से योजना का अनुमोदिरः कराकर कार पानी की जोवर के दिन ट्रेडी एवं रोशिय बरण के कार्य की | | | | | णन स्वास्थ्य अभियातिकी / |
| हिटीय घरण : 35.00 अनुमोदित कराकर जार जाने उद्योग्दर पानी उद्ये जोवर हैन टेकी एवं रोशिय बरण को कार्य की | | | | | प्राधिकरण रो सोजना आ |
| वाल उत्पादन सकेगा । पानी क्षेत्र ओवर • हिसीय बरण के कार्य की हेन टेकी एक राशि प्राधिकरण में जिमा | | | | | Number remain |
| पानी की ओवर हैक टेकी एक राशि प्राधिकरण में जेगा | 3/ | | EUG SKU | 35.00 | |
| पानी की ओवर • तिसीय बरण के कार्य की हैन टकी एवं राशि प्राधिकरण में जिसा | | | सार्व उत्पादन | | |
| े हैं देवी एवं राशि प्राविकरण में जिला | | | | | • दिसीय बरण के कार्य की |
| | | | | FI ST CONTRACTOR OF THE PARTY O | राणि पारितालक से केंग्र |
| प्रिया स्वास्त्र । प्राप्ता स्वास्त्र । प्राप्ता स्वास्त्र । | | | | | Color Service |
| | | | 对对抗抗量的抗抗性 | | THE PARTY OF THE P |
| | | | | | |

| 4 | विद्युतीकरण का | | इस कार्य को निजी विकासकर्ती । |
|-----|--|---------------|--|
| | लाइन डालने का कार्य मय जे.वी.वी. एन.एल. में जमा होने वाली पाश | 45,00 | एन.एल. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करनया जा सकता है तथा निजी निकास कर्ता द्वारा उयत कार्य को जयार विद्युत वितरण निगम हस्तांत रेत फरने के उपरान्त ही अधिव स प्रमाण पन्न जारी किया जा सकेगा । रेकल्पिक तौर पर निजी विकासकर्ता यह राशि |
| | | | प्राधिकरण में जमा करा सकेगा। यह कार्य प्राधिकरण द्वारा ही |
| 2 5 | नालियाँ एवं घाटर शरवेस्टिंग का कार्ग। | 25.00 | करवाया जाएमा । ातः यह राशि प्राधिकरण में जमा करानी होगी । ह |
| 6 | पाको का विकास कार्य। | 20.00 | यह कार्य निजी दिकासकर्ता द्वारा अपने एतर पर भी प्राधिकरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करवाए |
| 7 | स्ट्रीट लाइट का कार्य। | 5.00 J | यह कार्य निजी विज्ञासकर्ता द्वारा अपने रतर ार भी प्राधिकरण के निर्धारित गापदण्डों के अनुरूप करवाएं जा सकते हैं तथा अधिवास प्रमाण पत्र के जारी होने से पहले जयपुर नगर निगम को सम्भलवाना होगा । अकल्पिक तौर पर निजी विकासण्डती / खातेदार स्ट्रीट लाइट के कार्य की रति। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जमा करा सकेगा। |
| 8 | वृक्षशिपण क्र' कार्य | 4,50 J | यह कार्य निजी विजासकती आरा अपने स्टार दर भी प्राप्तिकरण के दिल्लि भारतण्यों के अनुकट्ट बारबाए द्वा सकते हैं। |
| | राजको में शार्वसंज के लिए डवट डालने का दक्षर्य या शक्तिल के लिए काटी गई संद्रकों की गुरम्मल | *** | वर्लगान में सार्वरोज को सहक काटकर भूगियत किया जा रहा है. असा इनकी भरमन की कार्य जो भविष्य में अन वरवल होगा, को प्राधिकरण द्वारा ही करवामा जाएगा । असे सह सार्थ प्राविकरण में जमा करानी |
| 1 | | 250,00 | |

रक्शकरण

आतांस्क विकास हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांकः जेड्यू-9/ जेडीए/ थी-061 दिनांकः 147.2005 के द्वारा विशिद्धिकों का निर्धारण किया पुट्टा है जिसे प्रमुख आधार गाना जाएगा किंतु स्थामीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें यदि किसी घट/ शिक्षिणीकरण की आवश्यकता महसूस की जाती है तो इस संबंध में निर्धय निर्देशक-अभियांत्रिकी के माध्यम से आयुक्त स्तर से किया जायेगा।

(ii) आज दिनांक से पूर्व उपरोक्त आंतरिक विकास पे) गर्दा में अकित कार्य जो प्रधिवारण के स्तर से करवाये जाने निश्चित किये गये हैं यदि किसी निजी खातेदार / विकासकर्ती हारा योजना क्षेत्र में निधारित मानदण्डों के अनुरूप करवाये जा चुके हैं तो उन गर्दों के लिए प्राधिकरण को कोई राशि देय नहीं होगी । साथ ही यदि किसी विकासकर्ता / निजी खातेदार हारा आतरिक विकास शुक्त की किसी मद के पेटे राशि प्राधिकरण में आज दिनांक से पूर्व जमा करवा दी है एवं उस मद से संबंधित आंतरिक विकास भी ख़ब दो स्तर पर योजना क्षेत्र में निधारित मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण करवाया जा चुका है तो वह राशि अन्य आंतरिक विकास की मद के रूप में समायोजित की जा सकेगी ।

(iii) सड़क की चौड़ाई निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं होने पर कुल कम चौड़ाई का डक्ल्यू बी.एम. सड़क के लिए रूपये 10.00 प्रति वर्ग नीटर तथा डक्ल्यू बी.एम. की तीसरी लेयर भय पेयर द्वारा डानरीकरण के लिए रूपये 120.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से निजी विकासकर्ता / खातेवार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में लमा कराना होगा ।

(iv) बिन्दु संख्या 3 के संबंध में जलापूर्ति का कार्य वैकल्पिक तौर पर जन रवारच्य अभिवात्रिकी विभाग के अधीक्षण अभिवेता, शहर/प्रामीण वृत्त के कार्यालय जीनवात्रिकी विभाग के अधीक्षण अभिवेता, शहर/प्रामीण वृत्त के कार्यालय ते अनुमति लेकर निजी विकासकर्ता / खारोदार हारा किया जा

| (2) | चित्री स | विकास एवं रूपान्तरण/ | नियमने शुल्क - | -1 |
|-----|--------------|---------------------------|--|----|
| (4) | 5. H. | | शुल्क दर प. विशय प्रतमीटर विवरण | |
| | | परिधीय विकास | 50.00 | 豐 |
| | 2 | रूपान्तरण/ नियमन शुल्क | राज्य सरकार द्वारा । निर्धारित जोन क्षेत्र की नियमन दरें | |

स्पष्टीकरण :
(i) जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति (E.C.) दिनांकः 29.10.05 में निजी विकासकर्तांजों / खातेदारों की आवासीय योजनाओं की लीज मनी के लिए आरक्षित दर उस योजना की नियमन / रूपान्तरण दर को योषित किया गया है, अता उक्त निर्णय के कम में राज्य सरकार की अनुमति के अध्यक्षीन इम योजनाओं हेंयु लीज गनी नियमन दर का आवासीय नियमन हेंचु 2.5 प्रतिशत एवं य्यायसायिक नियमन हेनु 5 प्रतिशत नियमित को जाती हैं।

विकासकर्ता / निजी खातेदार द्वारा आंतरिक विकास कार्य रवयं नहीं करवाने पर उन्हें आंतरिक विकास शुक्त 250/- रु. प्र.व.मी. की दर से लॉट एरिया के आधार पर जयपुर विकास प्रशिकरण में जमा करवामा होंगा । इस शुक्क में आंतरिक विकास की जिन मदों का समावेश दिन्या गया है ये संशोधित विन्तु संख्या न के अनुसार होगी । यह राशि जमा होने पर योजना का आंतरिक विकास कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया लायेगा । इस रिक्षति में अधिवास प्रमाण पत्र की अलग से कोई आवश्यकता नहीं होगी । विकासकर्ता/ खातेवार द्वारा जना करवाई जाने वाली आंतरिक विकास शुक्क की राशि आंतरिक विकास फण्ड में जमा होगी जिसे व्यव करने के लिए अलग से वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी । योजना के आंतरिक विकास कार्य में

कोनल अनियतः द्वारा जामा राशि का 90 प्रतिशतः सक खर्म गर्मा जन्मा

हर हो निजी खातेदार योजना में ऑरिएिक विकास रवव करता है तो स्ते जबपुर विकास प्राधिकरण की अभियांत्रिकी शाखा से अधिवास प्रनाण 😘 प्रान्त करना होगा । जल आपूर्ति व्यवस्था संबंधी कार्यो का परीक्षण जन रवास्थ्य अभियात्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियता, शहर/प्रातीण गृत के कार्यालय द्वारा किया जाकर इस कार्य संबंधो पूर्णता प्रमाण पत्र उसके हारा ही जारी किया जायेगा । यादे निजी खालेदार ग्रास योजना क्षेत्र में करदाये ग्ये विकास कार्य जयपुर विकास प्राधिवारण को मानवण्या है अनुरूप नहीं होता है तो अधिवास प्रमाण पन्न जारी करने वाले अधिवास हारा शेष रहे आलरिक विकास का मूल्य निर्धारित किया जायेगा लो निजी खातेदार/ दिकासजता को जायपुर विकास प्राधिकरण म जाग कराना होगा तभी अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा । अधिवास ग्रेमाण पत्र आवेदन करने के 30 दिवस में जारी किया जायेगा। किंतु यादे इस प्रकार पाये गये अपूर्ण विकास कार्य को भी निर्ण छातेदार / विकासकर्ता रवयं अपने खर्चे पर पूर्ण कराना बाहता है हो गांजना क्षेत्र के कुल भूखण्डों के 12.5 प्रतिशत के वरावर क्षेत्रपाल 13 नखण्डी को प्राधिकरण में निहित रखा जायेगा तथा इन्हें विकास कारी पूर्व होने के समान्यात में आरक्षित दर से इनके मूल्य की गणना कर मुवत किया जा सकेगा । उपरोक्तानुसार भुखण्ड प्राधिकरण में निहित करने के उपरान्त आंतरिक विकास के अपूर्ण होने की रिवालि में में। योजना का नियमन केम्प आयोजित किया जा सकेगा अथवा खायितगरा करणों में पट्टे दिये जा सर्वाने ।

भूखण्डवारी को भूखण्ड क्य करने हेतु वित्तीय संस्थाओं से अप का आवश्यकता होती है जिसके लिए भूखण्ड का पददा होना आवश्यक है कृषि भूमि के आवासीय रूपयोग की प्रक्रिया में राजस्थान भू-राजस्था अधिनिदम 1956 की घारा 90 ही के तहत खातेपार की भूमि जिथिश के हक में समर्पित हो जाती है । ऐसी स्थिति में सातेबार / मूखण्ड के केता द्वारा गाँग किये जाने पर वित्तीय संस्थानी से अप संतु जनगरीता प्रमाण पत्र संबंधित उपायुक्त द्वारा जारी किया जा सकेता

व्यायत । इकारा अक्रीय